प्रश्न सं. [क्र. 2059]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2059 परिशिष्ट - अ

म0प्र0 शासन वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /2308/2895/2014/2/पांच/भोपाल दिनंक 10 सितंबर 2005 में यह लेख किया गया है कि ऐसे वादग्रस्त सम्पत्तियों के मामले में जिनमें अनुबंध के आधार पर सम्पत्तियों के सौदे तय किये जाते है उनमें प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री के आधार पर प्रकरणों को बिना स्टाम्प शुल्क अदायगी एवं पंजीयन कराए सम्पत्ति राजस्व रिकार्ड में नामान्तरित कर दी जाती है जिसके कारण राज्य सरकार को मिलने वाले पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क प्राप्त नहीं होने से महती राजस्व की हानि वहन करनी पड़ रही है । सिविल अपील क्रमांक 3477/1992 अरूवी सेल्स एवं सर्विस प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.1993 में यह प्रतिपादित किया गया कि "Thus the position becomes clear that the consent decree falls under the definitions of conveyance as well as instrument" उक्त पत्र में यह निर्देशित किया गया है कि न्यायालय द्वारा दी गई समस्त अस्टाम्पित की जानकारी तथा आदेश प्राप्त कर स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित वसूल करें, राजस्व अमले के द्वारा ऐसे प्रकरणों में गाईड लाईन के आधार पर पर्याप्त स्टाम्पित हुए एवं पंजीकरण बिना नामान्तरण न किये जाये । लंबित एक प्रकरण उक्त पत्र के तारतम्य में उपपंजीयक को भेजा गया उनके द्वारा लेख किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री/विलेख को सम्यक रूप से स्टाम्पित किये जाने की अधिकारिता इस (उपपंजीयक) कार्यालय को नहीं है, अतः मूल अभिलेख को सम्यक रूप से स्टाम्पित कराने हेतु स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक नर्मदापुरम को प्रेषित किया जाना उचित होगा। अतः उक्तानुसार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक नर्मदापुरम को मूल अभिलेख सहित प्रकरण भेजा गया ।

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग शाखा-5-2
मंत्रालय भोपाल